राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

राजस्व प्र0 सं0 –03/35/2019 दर्ज तिथि– 11/11/2019 निर्णय तिथि– 25.11.2021

अनुवान–1. संतोष पुत्र गोविन्द उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी बान्दरोल, मीणों की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

– प्रार्थी

बनाम

सायर राम पुत्र छोटूराम उम्र 40 साल चैगरा जाति मीणा निवासी बान्दरोल,मीणों की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

–अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
वादीगण अधिवक्ता – श्री मोलूराम मीना ।
अप्रार्थी अधिवक्ता – कमलेश सैनी ।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 (पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत)
भू0–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– तारीख 25. 11.2021

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र मालूताना तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 है0,, वाके ग्राम बान्दरोल ,मीणो की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिस सालिम आराजी के काश्तकार खातेदार प्रार्थीगण की चले आते है। तथा उक्त आराजी पर काबिज होकर हर जायज तरीके से उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं।
02. यह है कि उपरोक्त वर्णित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है, अप्रार्थीगण उक्त आराजी के मात्र पडोसी काश्तकार खातेदार है।
03. यह है कि प्रार्थीगण कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है और अप्रार्थीगण बडे ही मुठमर्द वो लडाकू किस्म के व्यक्ति हैं। जो प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर चैन से काश्त नही करने देते है तथा आये दिन प्रार्थी की आराजी की डोल को काट काट कर अपनी आराजी में मिलाने की फिराक में है , इसलिए प्रार्थीगण,अप्रार्थीगण की इस तरह की हरकतों से परेशान होकर अपनी आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम मीणा की ढाणी , बान्दरोल तह0 थानागाजी जिला अलवर की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 28. 04.2010 को श्रीमान के आदेश क्रमांक /एल.आर./883 दिनांक 20.04.2010 की अनुपालना में पैमाईश करवा लिया है परन्तु अप्रार्थीगण झग्डालू व बेईमान प्रवृति के व्यक्ति होने के कारण ये लोग उक्त पैमाईश को नही मान रहे हैं। तथा प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वो प्रार्थीगण की सम्पूर्ण आराजी को काट काट कर अपनी आराजी में मिलाकर ही रहेगे , जबकि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है।
04. यह है कि अब अप्रार्थीगण ,प्रार्थीगण को नाजायज परेशान कर रहे है और पटवारी हल्का ने पैमाईश कर जो निशानात किये थे , उन निशानात के अनुसार प्रार्थीगण अपनी आराजी के चारों तरफ डंडा लगाकर अपनी आराजी की सुरक्षा कराना चाहते है, परन्तु अप्रार्थीगण पटवारी हल्का द्वारा की गई पैमाईश को नही मानते है तथा दिनांक 15.10.2019 को प्रार्थीगण की आराजी पर आकर पटवारी हल्का द्वारा लगाये गये निशानात को मौके से हटाकर नाजायज रूप से कब्जा करने की कोशिश की और निशानात को मिटा दिया । अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है।, इसलिए प्रार्थी अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है, जिससे अपनी आराजी में प्रार्थीगण चैन से काश्त कर सके।, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
05. यह है कि उपरोक्त नम्बरों बाबत भविष्य में पड़ोसी काश्तकारों में कोई तनाजा पैदा ना हो, इसलिए प्रार्थी अपनी आराजीयात् के चारों कोनों में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिस हेतु प्रार्थना पत्रद पेश किया गया है।
06. यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बर अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है ,जो श्रीमान के श्रवण योग्य है।

Scanned by CamScanner

अन्त : में प्राथर्ना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बरान 684 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम मीणो की ढाणी,बान्दरोल तहसील थानागाजी जिला अलवर की पत्थरगढी करवाये जाने के लिए तहसीलदार ,थानागाजी को आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । साथ में शपत पत्र भी पेश किया गया ।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता एक पक्षीय सुना गया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर ,प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये।

असल अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.08.2021को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निम्न बिन्दुओ मे निवेदन किया गया–

01. यह है कि प्रार्थन पत्र का जिम्मन नं0 01 इतना स्वीकार है कि ग्राम बान्दरोल, मीणों की ढ़ाणी तह0थानागाजी में आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.36 है0 स्थित चली आती है। बाकी लेख गलत है ,स्वीकार नही । क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 684 आवंटित की हुई,आराजी है। जिसका कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 685 और 686 में शामिल चला आता है । जो अलोट के पहले से ही सामिल है तथा खसरा नम्बर 685 व 686 अप्रार्थीगण की आराजी है। वैसे भी खसरा नम्बर 684 प्रार्थी के नाम अलोट होने से पहले गॉव का सामूहिक सार्वजनिक स्थान था, जिस पर भी सामुहिक कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते थे।
02. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 02 गलत है ,स्वीकार नही। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 684 के केवल पडोसी काश्तकार खातेदार ही नही बल्कि कुछ हिस्से के मालिक भी है।
03. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 03 गलत है , स्वीकार नही । प्रार्थी बडा ही चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है ,जो कानून में विश्वास नही रखता है और जबरन अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। अलोट होने के पहले से खसरा नम्बर 684 का कुछ भाग अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 से मिला हुआ है, जो नक्शे से साफ जाहिर होता है परन्तु प्रार्थी को अलोट होने के बाद वह अप्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। जबकि अप्रार्थी कानून में विश्वास रखने वाले लोग है ,जो केवल अपने हक तक सीमित है परन्तु प्रार्थी आये दिन झगड़ा फसाद करता है।
04. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन सख्या 04 गलत है ,स्वीकार नही । प्रार्थी , अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करता है और उनकी आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। दिनांक 15.10.2019 को या अन्य किसी तारीख को अप्रार्थीगण ने कोई निशानात नही हटाये व कोई लड़ाई –झगड़ा नही किया हैं । प्रार्थी ने सभी तथ्य गलत व झूठे दर्ज किये गये है।
05. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 05 गलत है, स्वीकार नही । प्रार्थी ने सभी तथ्य गलत दर्ज किये है ,क्योकि किसी भी तारीख को अप्रार्थीगण ने ना तो कोई निशानात मिटाये है और ना ही पत्थर उखाडे हैं ,जबकि प्रार्थी झग्ड़ालू किस्म के व्यक्ति है ,जो जबरन कब्जा कर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं, जो स्वीकार नही है।
06. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 06 कानूनी है।

अन्त: में अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों कें संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र मालूताना तहसील थानागाजी पर वास्ते सुनवाई हेतु पेश हुई। शिविर स्थल पर प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 90 में वर्णित खसरा नम्बरान 684 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम बान्दरोल तहसील थानागाजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित से किसी अन्य दीगर का कोई संबंध व सरोकार नही है। तथा प्रमाणित प्रति मौका पर्चा दिनांक 28.04.2010 पटवारी हल्का के अनुसार मौत विरान व्यक्तियों के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 662 गैर मुमकिन चाह को मुख्य बिन्दु मानकर जरीब चलाकर आ0ख0नं0 684 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया । यहा से चारों तरफ जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 684 का सीमाज्ञान कराया गया तथा आ0ख0नं0 684 के दक्षिण पश्चिम कोने से तर्फ दक्षिण को चलकर आ0ख0नं0 686 का दक्षिण –पश्चिम कोना जॉच किया , जो सही पाया गया । सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थित किया गया , अवगत कराया गया है।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी को अलोट होने के पहले से खसरा नम्बर 684 का कुछ भाग अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 से मिला हुआ है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है ,जिससे प्रमाणित होता हो कि खसरा नम्बर 684 का कुछ भाग अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 से मिला हुआ हो। तथा सलंग्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवंत 2070–2073 के खाता संख्या 90 में वर्णित खसरा नम्बरान 684 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम बान्दरोल तहसील थानागाजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है एवं अप्रार्थीगण का उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है ,होना प्रमाणित होता हैं।

प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात् व प्रस्तुत तथ्य तथा मौका पर्चा दिनांक 28.04.2010 पटवारी हल्का सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू– राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत काबिल स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 90 में वर्णित खसरा नम्बरान 684 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम बान्दरोल तहसील थानागाजी की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिये जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त वर्णित आराजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे। खर्चा अपना वहन करेगें। आदेश जारी हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 25.11.2021को लिखवाया जाकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र मालूताना तह0 थानागाजी पर मजमेंआम सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
डॉ [illegible] स)
कैम्प प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी अलवर
प्रशासन गावों के संग अभियान–2021
कैम्प कोड..........

Scanned by CamScanner